



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 8 जुलाई, 2003

(17 आषाढ़, 1925 शक)

विद्यार्थी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग-I	अधिनियम	
	कुछ नहीं	
भाग-II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं	
भाग-III	प्रत्यायोजित विधान	
	1. अधिसूचना संख्या का० आ० 92/ह० अ० 6/2003/घा० 7/2003, दिनांक 8 जुलाई, 2003, अधिसूचना संख्या का० आ० 50/ह० अ० 6/2003/घा० 7/2003, दिनांक प्रथम अप्रैल, 2003 में संशोधन।	1243—1250
	2. अधिसूचना संख्या का० आ० 93/ह० अ० 6/2003/घा० 59/2003, दिनांक 8 जुलाई, 2003, अधिसूचना संख्या का० आ० वैब 7/ह० अ० 6/2003/घा० 59/2003, दिनांक 23 जून, 2003 के प्रति निर्देश से संशोधन करने बारे।	1251—1258

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
	3. अधिसूचना संख्या का० आ० 94/ह० अ० 6/2003/ घा० 59/2003, दिनांक 8 जुलाई, 2003, वेब 8/ ह० अ० 6/2003/घा० 59/2003, दिनांक 25 जून, 2003 के प्रति निर्देश से अनुसूची ख में संशोधन करने बारे।	1259—1260
	4. अधिसूचना संख्या का० आ० 95/ह० अ० 11/1994/ घा० 209/2003, दिनांक 8 जुलाई, 2003, हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) नियम, 2003 (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	1261—1266
भाग-IV	शुद्धि प्रतियां, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन शुद्धि पत्र दिनांक 8 जुलाई, 2003 सा० का० नि०/संवि०/ अनु० 309/95, दिनांक 6 जनवरी, 1995 का शुद्धि पत्र। (केवल अंग्रेजी में)	15

भाग III

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 8 जुलाई, 2003

संख्या का० आ० 92/ह० अ० 8/2003/घा० 7/2003.—हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 6), की धारा 7 की उप धारा (1) के खण्ड (क) के उप खण्ड (iv) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या का० आ० 50/ह० अ० 6/2003/घा० 7/2003, दिनांक प्रथम अप्रैल, 2003, में, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से निम्नलिखित संशोधन करते हैं अर्थात् :—

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या का० आ० 50/ह० अ० 6/2003/घा० 7/2003, दिनांक प्रथम अप्रैल, 2003, में,—

- (i) क्रम संख्या 2 तथा 3 तथा उनके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्याएं तथा उनके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

1	2
	"2 सभी प्रकार के खाना बनाने वाले यन्त्र, कुकिंग रेंज, ग्रीलज और माईक्रोवेव ओवन और उनके पुर्जे तथा उपसाधन ;
	3 गर्द को चूसकर साफ करने वाले यन्त्र, बिजली और इलेक्ट्रॉनिक ऐअर प्यूरिफायरज, कप बोर्ड फ्रेशनरज और डिओड्राईजरज चाहे गंधहीन हो या गंधयुक्त।";

- (ii) क्रम संख्या 5 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

1	2
	"5 कपड़े धोने की मशीन और डिश वाशर।";

- (iii) क्रम संख्या 21 तथा 22 तथा उनके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्याएं तथा उनके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

1	2
	"21 किसी भी सामग्री से बना सभी प्रकार का फर्नीचर और ऑफिस इक्वीमेंट्स चाहे असेम्बल करके अथवा बिना असेम्बल किए और असेम्बल के लिए तैयार और उनके पार्ट्स के रूप में जब बेचा जाए।

व्याख्या :—सेलोटिड ऐंगलज, गैसेटस, प्लेटस, पैनलस और स्ट्रिपस जिनको असेम्बल करने पर फर्नीचर या इक्वीपमेंट बनता है, दो फर्नीचर अथवा ऑफिस इक्वीपमेंटस, जैसे भी हो, इस मद के प्रयोजन के लिए फर्नीचर अथवा ऑफिस इक्वीपमेंट समझा जाएगा।

22 सैल्युलाईज, देके लाईट का सामान तथा उसी प्रकार के पदार्थों से बना सामान, प्लास्टिक का सामान, पोलि विनाईल फ्लोराइड का सामान, हाई डेनिसिटी पोलि एथिलिन बोथन बेगस तथा प्लास्टिक के फुटवीटर, पी० वी० सी० कम्पाउंड तथा ग्रानुलेस (एथ० डी० पी० ई०, एल० डी० पी० ई० तथा एल० एल० डी० पी० ई०) पी० वी० सी० रीसाइन्स तथा प्लास्टिक पोलिमरस के सिवाए ;

(iv) क्रम संख्या 26 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

1	2
---	---

“26 फ्लोर कवचरिंगस अर्थात् (i) कारपेटस, दरिया, ड्रैगैटस, कालीन, गलीचा, कारपेटरी तथा रगज चाहे टफटिड, पाइल्ड या अन्य हों चाहे कॉटन, सिल्क, सिंथेटिक या अन्य फाईबर से बने हों, चाहे मशीन द्वारा, हाथ द्वारा या हैंडलूम निर्मित हों, जिनमें छूट कारपेटस, कोयर कारपेटस या मैटिंग, हस्तनिर्मित या हैंडलूम पर बुनी गई दरियां शामिल हैं ;

(ii) लेमिनेटेड, इम्प्रोवेनेटेड या कोटिड मैटिंग मैटिरियलज जैसे कि लीनोलुम जिसमें पी० वी० सी० (विनायल) सामग्री शामिल है।

टिप्पण :—यह प्रविष्टि अनुसूची ख की प्रविष्टियों 18 और 19 के अध्यायीन है।” ;

(v) क्रम संख्या 32 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

1	2
---	---

“32 फोम के कुशन तथा गद्दे जिसमें शामिल है रबड़ फोम, प्लास्टिक फोम अन्य सिंथेटिक फोम, कोयर या स्पिंग से बनी फोम शीटस, तकिये तथा अन्य सामान आदि।” ;

(vi) क्रम संख्या 40, 41 तथा 42 तथा उनके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्याएं तथा उनके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

1	2
---	---

“40 सीमेंट और उसके सदस्टीच्यूटस तथा सीमेंट कंकरीट मिश्रण।

41 स्ट्रोंग रूम या वॉल्ट दरवाजे और रोशनदान, आरमरड या रीएनफोरसड सेफ,

स्ट्रॉंग बॉक्स तथा दरवाजे, कैस चैस्ट, कैस या डीड बोकसीज, वाल कॉफरज, सेफ डिपोजिट लाकरज और लाकर कैबिनेटस।

- 42 मोटर वाहन (ट्रैक्टर के अतिरिक्त), मोटर वाहनों की चैसिज, मोटर साईकल, मोटर कम्बीनेशन, मोटर स्कूटरस, मोपडस, मोटरेटस, तिपहिया वाहन (आटो), मोटर वेस्लस, मोटर इंजन, ट्रेलरज, मोटर वाहनों की चैसिज पर बनाई गई मोटर बोडिज तथा मोटर वैसलस पर बनाई गई बोडिज, उनमें ट्रैक्टर के कम्पोनेंटस, स्पेयर पार्टस तथा असेसरीज शामिल हैं।” ;

(vii) क्रम संख्या 46 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

1

2

“46 खाद्य पदार्थ, जैसे कि—

- (i) परोसने के लिए तैयार खाना तथा खाद्यान्न जिसमें सम्मिलित है तैयार खाना, आचार, चटनी, सौस, जैम, मुरब्बा, जैली, मीठा तथा मिठाईयां, कन्फेक्शनरी, चाकलेट, टाफी तथा स्वादिष्ट जैसे कि चिप्स एवं पाप कर्न इत्यादि ;
- (ii) सीलबन्द डिब्बों में बेची गई, तली हुई, रोस्टिड या नमकीन गिरी ;
- (iii) आधा पका या अर्ध संसाधित खाद्य पदार्थ जैसे कि नारियल का दूध, नारियल दूध पाउडर, खाद्य मिश्रण, नूडल, वरमिसैली तथा मैकरोनी जिसमें सम्मिलित है रापाघेटी तथा कार्नफ्लैक्स, शाकाहारी तथा मांसाहारी उत्पादन जब सीलबन्द डिब्बों में बेचे जायें ;
- (iv) खाद्य रंग, सभी प्रकार की खुशबू तथा पाउडर या गोलियां जो खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग होते हैं ;
- (v) फल (सूखे फलों के अतिरिक्त) तथा सब्जियों के उत्पादन जब टीन, कैन, बोतल या किसी अन्य सीलबन्द डिब्बों में बेचे जायें ;
- (vi) प्याज, अदरक या लहसुन की पेस्ट तथा इसी प्रकार के अन्य पेस्ट तथा इनका मिश्रण, कडी पेस्ट सहित, जब सील बन्द डिब्बों में बेचे जायें ;
- (vii) प्रीजर्व करके बेचे गये फल ;
- (viii) फलों का जूस, फलों के कन्सनट्रेट, फल की स्कवैश, फलों के सिरप तथा पुष्टिकर फल ;
- (ix) दूध का पाउडर, संघनित दूध, डैरी वाईटनर ;
- (x) स्वास्थ्य पेय सहित, स्वास्थ्य खाद्य, तथा ;
- (xi) प्रीजर्वड, संसाधित सूखा अथवा डी हाईड्रेटिड फल, सब्जी, मछली तथा मीट जब बन्द डिब्बों में बेचा जायें।

टिप्पण :—चाय की पत्ती तथा काफी पाउडर इस प्रविष्टि का भाग नहीं है।” ;

- (viii) क्रम संख्या 54 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

2

“54 सभी प्रकार के चिपकने वाले पदार्थ गौद, ग्लू, चिपकने वाले घोल, गौद का पेस्ट, लैपिंग मिश्रण, तरल एम० सील, ईपोक्सी, शोलेक, वुलकैनाईजिंग घोल तथा चेषदार टेप, स्वयं चिपकने वाले टेप, गौद टेप, गमड टेपस, सहित।” ;

- (ix) क्रम संख्या 56 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

1

2

“56 विमान तथा अन्य वायुयान, हेलिकप्टरस तथा सभी प्रकार के पैराशूटस, वायुपोत, सभी प्रकार के ग्लाइडर, सभी प्रकार की फ्लाईंग मशीन, एयर क्राफ्ट लाविंग गियर, उनके पुर्जे तथा उपसाधनों सहित।” ;

- (x) क्रम संख्या 58 तथा 59 तथा उनके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्याएं तथा उनके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

1

2

“58 हाथी दांत, रोजवुड तथा चंदन की लकड़ी की वस्तुएं, चन्दन के तेल सहित।

59 (i) प्लाईवुड, हार्डबोर्ड, पारटिकलस बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, इन्सुलेशन बोर्ड, लैमिनेटिड बोर्ड, बैटन बोर्ड, हार्ड या सॉफ्ट वाल सीलिंग, फर्श बोर्ड तथा सभी प्रकार की लकड़ी से बने ऐसे ही बोर्ड, उनमें लकड़ी के अतिरिक्त चाहे कोई अन्य पदार्थ हो या नहीं :

(ii) सभी अन्य नॉन साफ्ट बोर्ड या इन्सुलेटिंग पदार्थ जो लकड़ी के अतिरिक्त किसी अन्य सामग्री से निर्मित हो ;

(iii) किसी भी सामग्री से निर्मित दरवाजे, खिड़किया, रोशनदान पारटिशन्स, स्टैन्ड इत्यादि।” ;

- (xi) क्रम संख्या 65 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

1

2

“65 पूर्ण ऐलकोहॉल, मिथाईल ऐलकोहॉल, रेक्टिफाईड स्पिरिट, न्यूट्रल स्पिरिट तथा डिनेचरड स्पिरिट।” ।

चन्द्र सिंह,

वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

22 Celluloid, bakelite goods and goods of similar substances, plastic goods, Poly Vinyl Chloride goods except High Density Poly Ethylene woven bags and footwear of plastic, PVC Compound and granules (HDPE, LDPE and LLDPE), PVC resins and plastic polymers.”;

- (iv) for serial number 26 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely :—

1	2
	<p>“26 Floor covering that is to say, (i) carpets, durries, druggets, kalins, galichas, carpetry and rugs whether tufted, piled or otherwise whether made from cotton silk, synthetic or other fibres, whether machine made, handmade or made on handlooms including jute carpets, coir carpets or matting, handmade or handloom made woven durries; (ii) Laminated, impregnated or coated matting materials such as linoleum including PVC (vinyl) materials.</p>

Note :—This entry is subject to entries 18 and 19 of Schedule B.”;

- (v) for serial number 32 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely :—

1	2
	<p>“32 Cushion and mattresses of foam, including foam sheets, pillows and other articles made from rubber foam, plastic foam other synthetic foam, coir or springs.”;</p>

- (vi) for serial numbers 40, 41 and 42, and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be substituted, namely :—

1	2
	<p>“40 Cement, its substitutes and cement concrete mixture.</p>
	<p>41 Strong room or vault doors and ventilators, armoured or reinforced safes, strong boxes and doors cash chests, cash or deed boxes, wall coffers, safe deposit lockers and locker cabinets.</p>
	<p>42 Motor vehicles (except tractors), chassis of motor vehicles, motor cycles, motor combinations, motor scooter, mopeds, motorettes, three wheelers (auto), motor vessels, motor engine, trailers, motor bodies built on chassis of motor vehicles and bodies built on motor vessels, components, spare parts and accessories thereof including those of tractors.”;</p>

(vii) for serial number 46 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely :—

1	2
	“46 Food articles, that is to say, (i) Ready to serve foods and food preparations including instant foods, pickles, chatnis, sauces, jams, marmalades, jellies, sweets and sweets meats, confectionery, chocolates, toffees and savouries like chips and popcorns etc ; (ii) Fried, roasted or salted kernels sold in sealed containers ; (iii) Semi-cooked or semi-processed food stuffs like coconut milk , coconut milk powder, food mixes, noodle, vermicelli and macaroni including spaghetti and cornflakes, vegetative and animal preparations sold in sealed containers ; (iv) Food colours, essences of all kinds and powders or tablets used for making food preparations ; (v) Fruits (other than dry fruits) and vegetable products when sold in tins, cans, bottles or in any kind of sealed containers ; (vi) Paste of onion, ginger, or garlic and similar other pastes and combination thereof, including curry paste, when sold in sealed container ; (vii) Fruits sold in preserved form ; (viii) Fruit juice, fruit concentrate, fruit squash, fruit syrup and fruit cordial ; (ix) Milk powder, condensed milk, dairy whitener ; (x) Health foods including health food drinks; and (xi) Preserved, processed, dried or dehydrated fruit, vegetable, fish and meat when sold in sealed containers.

Note :—Tea leaves and coffee powder is not part of this entry.” ;

(viii) for serial number 54, and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely :—

1	2
	“54 Adhesives of all kinds including gum, glue, adhesive solution, gum paste, lapping compound, liquid M-seal, epoxy, shellac, vulcanising solution and adhesive tapes, self adhesive tapes, gum tapes, gummed tapes.” ;

- (ix) for serial number 56, and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely :—

1	2
	“56 Aeroplanes and other aircrafts including helicopters and all kinds of parachutes, dirigibles all kinds of gliders, all types of flying machines, aircrafts launching gear, parts and accessories thereof.”;

- (x) for serial numbers 58 and 59, and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be substituted, namely :—

1	2
	“58 Ivory, rosewood and sandalwood articles including sandalwood oil.
	59 (i) Plywood, hard board, particle board, block board, insulation board, laminated board, batten board, hard or soft wall ceiling, floor boards and similar boards of wood of all kinds, whether or not containing any material other than wood ;
	(ii) All other non-soft boards or insulation material made of any other material other than wood.
	(iii) Doors, windows, ventilators, partitions, stands etc. made of any materials.”;

- (xi) for serial number 65 and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be substituted, namely :—

1	2
	“65 Absolute alcohol, methyl alcohol, rectified spirit, neutral spirit and denatured spirit.”;

CHANDER SINGH,
Financial Commissioner and Principal
Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.